



2026:AHC: 59714

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1531 वर्ष 2026

सूरज कुमार गोंड

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मनीष मणि, विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आवेदन थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 369 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 190, 109(1), 61(2) और आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपर्युक्त वाद में गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अब तक आवेदक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह विवेचक एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि यदि आवेदक को अग्रिम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है।

5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6- वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

7- अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8- पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-**सूरज कुमार गोंड** की गिरफ्तारी की स्थिति में, पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विवेचना के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



9- किसी भी शर्त की चूक के स्थिति में, विवेचना अधिकारी/अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

23 मार्च, 2026

एस.अली